# Services Housing Co-operative Society Limited

## Ashok Nagar,Ranchi-834002

## E_Mail – support@ashoknagarranchi.com


पत्रांक–154 दिनांक 9/6/25

आज दिनांक 08.06.2025 को निदेशक मण्डल की बैठक डॉ0 माधव शरण सिंह की अध्यक्षता में आहूत हुई । इस बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– | डॉ0 माधव – | अध्यक्ष – | उपस्थित |
| 2– | श्री के0 पी0 पाण्डेय | उपाध्यक्ष– | उपस्थित |
| 3– | श्री अनिल शंकर | अ0 सचिव | अनुपस्थित |
| 4– | श्री शंकर प्रसाद वर्मा | सं0 सचिव | अनुपस्थित |
| 5– | श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य | निदेशक | उपस्थित |
| 6– | श्री प्रताप सिंह – | निदेशक | उपस्थित |
| 7– | डॉ0 श्रीमति रीता लाल– | निदेशक | अनुपस्थित |
| 8– | श्रीमति शोभा कुमारी – | निदेशक | अनुपस्थित |
| 9– | श्रीमति कृष्णा श्रीवास्तव | निदेशक | अनुपस्थित |
| 10– | डॉ0 श्रीमति जुबी जेन केशरी | निदेशक | उपस्थित |

कार्यावली संख्या–1 विगत बैठक दिनांक 11.05.2025 एवं 16.05.20 को लिये गये निर्णय का आज बोर्ड में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त निम्न निर्णय को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया :–

1.1– सोसाईटी के पक्ष में म्यूटेशन का कार्य सम्पन्न हो गया है । लगान रशीद भी प्राप्त कर लिया गया है । प्लॉट वार चौहद्दी के निर्धारण की कार्रवाई हेतु भेडर का चयन किया जा चुका है । दूसरे चरण का कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया ।

1.2– **S.K.Jha & Associates** को वित्तीय वर्ष 2024–25 के **Statury Audit** के लिए नियुक्त करने का निर्णय । इसका अनुमोदन आगामी आमसभा में लिया जायेगा ।

1.3– **Misc. Case No. 16 of 2024** में पारित न्यायादेश का पारा 10 का अनुपालन अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाय ।

1.4– श्री जनार्दन बेदिया, दैनिक मजदूर का दुर्घटना में पैर टट जाने के कारण इलाज पर हुए व्यय की राशि 3719/–(तीन हजार सात सौ उन्नीस) के भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति ।

1.5– भा0 स्टेट बैंक स 95,43,082/–(पन्चानवे लाख तैंतालिस हजार बेयासी) रूपये तथा आई0डी0बी0आई0 बैंक से 18,53,241/–(अठारह लाख तिरपन हजार दो सौ

Jkeshari 9/6/25

174



इकतालिस) रूपये सावधि जमा राशि को बचत खाते में स्थानान्तरित करने की घटनोत्तर स्वीकृति ।

1, 6– **EPF and ESIC** की सेवा दे रहे **Jai Guru Consultancy** के स्थान पर **M/S SKUB Consultant** को नियुक्त करने का निर्णय । इसके पूर्व **M/S SKUB Consultant** के प्रतिनिधि को कार्यालय में बुलाकर निदेशक श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य द्वारा साक्षात्कार किया जायगा । उसके उपरान्त ही पत्र निर्गत होगा ।

1, 7– श्री रमेश चन्द्र प्रभाकर, सदस्य 248/सी के निधन के फलस्वरूप नामांकण के आधार पर पत्नी श्रीमति प्रेम केशरी को कर्त्ता सदस्य बनाने तथा शैलेश चन्द्र प्रभाकर एवं प्रवीण चन्द्र प्रभाकर को सह–सदस्य बनाने का निर्णय ।

1, 8– श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, सदस्य 174/सी के निधन के फलस्वरूप नामांकण के आधार पर पुत्र श्री मनोज कुमार सिन्हा को कर्त्ता तथा श्री संजीव कुमार सिन्हा एवं पुत्री स्मिता ओवेराय को सह–सदस्य बनाने का निर्णय ।

1, 9– डॉ0 स्नेहलता सिन्हा, सदस्य 290/सी के निधन के फलस्वरूप नामांकण के आधार पर पुत्र श्री कृष्ण कान्त सिन्हा को कर्त्ता तथा पुत्री अपर्णा सिन्हा को सह–सदस्य बनाने की घटनोत्तर स्वीकृति ।

1, 10– श्रीमति सरोज सिंह, सदस्य 355/बी के निधन के फलस्वरूप नामांकण के आधार पर पुत्री मोना सिंह को कर्त्ता सदस्य बनाने की स्वीकृति । रणजीत सिंह पूर्व की भांति सह–सदस्य बने रहेंगे ।

1, 11– श्रीमति गुलाब श्रीवास्तव, सदस्य 286/सी द्वारा अपने पुत्र श्री शिशिर कुमार को कर्त्ता के रूप में किये गये नामांकण की स्वीकृति ।

1, 12– सोसाईटी के अन्दर चल रहे निम्नलिखित योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति :–

**A- Construction of Steel Gate of Gate No. 1,2,4 and 6**
**B- Construction of Boundary Wall of Old Water tower.**
**C- Construction of Extension Boundary wall in front of S.B.I.**

1, 13– गर्मी में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक अदद **5 HP** एवं दो अदद 7.5 **HP** का सबमर्सिबल पम्प **Authorised Dealer** से क्रय करने का निर्णय । इसका

8/6 Skrhani 8/6/2015

अधिष्ठापन ओल्ड वाटर टावर, पार्क डी एवं अशोक पथ में किये गये बोरिंग को चालू करने के लिए किया जायेगा।

कार्यावली संख्या–2 श्रीमति गुलाब श्रीवास्तव, सदस्य, श्रीमति प्रतिमा नारायण, श्रीमति पूर्णिमा एवं श्रीमति रौली शेखर, सह–सदस्य 286/सी ने अपने हिस्से का 16.92 डिसमिल भूखण्ड श्री तपि लाल राम, सेवा निवृत्त अवर सचिव, पथ निर्माण विभाग के पक्ष में प्रत्यार्पित कर दिया है । साथ ही भूखण्ड का 5.35 डिसमिल हिस्सा पुत्र श्री शिशिर कुमार के पक्ष में यथावत रखने का निर्णय लिया है । अतः प्रत्यार्पण की स्वीकृति प्रदान की जाती है । साथ यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि श्री शिशिर कुमार मूल सदस्य के पुत्र है, अतः वे ही उक्त प्लॉट के सदस्य होंगे । श्री तपि लाल राम उक्त प्लॉट के सह–सदस्य होंगे ।

कार्यावली संख्या–3 श्रीमति मीता लाल, सदस्य 237/बी द्वारा अपने भूखण्ड का 8.52 डिसमिल भूमि श्री मुरली मनोहर प्रसाद, सेवा निवृत्त अतिरिक्त सचिव, झारखण्ड सरकार के पक्ष में प्रत्यार्पण हेतु आवेदन दिया है । प्रत्यार्पण की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया । प्रत्यार्पण के पश्चात् श्रीमति मीता लाल पूर्व की भांति सदस्य बनी रहेंगे । श्री मुरली मनोहर प्रसाद सह–सदस्य होंगे ।

कार्यावली संख्या–4 प्लॉट संख्या 370/बी के सदस्य श्री कुन्दन कृष्ण द्वारा अपना भूखण्ड एवं शेयर श्री अजय कुमार सिंह, प्रशासक, झा0रा0वि0क0मा0ट्र0 जो उर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार का कोषांग है, के पक्ष में प्रत्यार्पण हेतु आवेदन दिया है । प्रत्यार्पण की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है, कि उक्त प्लॉट के नाम से आवंटित दुकान का पहले प्रत्यार्पण करेंगे । साथ ही बकाया का भी भुगतान करेंगे ।

कार्यावली संख्या–5 श्री प्रदीप कुमार, सदस्य 428/बी की मृत्यू के फलस्वरूप नामांकण के आधार पर उनकी पत्नी श्रीमति पूनम कुमार के पक्ष में पारिवारिक सदस्यता हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यावली संख्या–6 श्रीमति वीणा सहाय, सदस्य 406/बी के निधन के फलस्वरूप उनके पुत्र श्री किरीत माथुर के पक्ष में पारिवारिक सदस्यता हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई ।

75



कार्यावली संख्या—7 श्री शशि भूषण प्रसाद, सदस्य 285/सी के निधन के फलस्वरूप नामांकण के आधार पर उनकी पत्नी श्रीमति रश्मि के नाम पारिवारिक सदस्यता हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यावली संख्या—8 श्री विजय शंकर तिवारी, सदस्य 160/सी द्वारा पत्नी श्रीमति निरजा तिवारी, पुत्र श्री आदित्य आर्य एवं पुत्री सूश्री समृद्धि स्वधा के **Successive** नामांकण की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यावली संख्या—9 श्री ललन प्रसाद सिंह, सदस्य 201/सी द्वारा पत्नी श्रीमति सुनीता सिंह के एकल नामांकण की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यावली संख्या—10 श्री अखिलेश्वर प्रसाद चौधरी, सदस्य 447/ए द्वारा पत्नी श्रीमति सुधा चौधरी, पुत्र श्री अवनीश कुमार चौधरी एवं श्री आशीष कुमार के **Successive** नामांकण की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यावली संख्या—11 श्री महेश्वरी प्रसाद, सदस्य 162/डी द्वारा अपने पुत्रों सर्वश्री डॉ0 दीपक कुमार, श्री प्रतीक कुमार, परेश कुमार एवं आर्येश कुमार के संयुक्त नामांकण की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यावली संख्या—12 श्री हरेकृष्ण मुरारी, सदस्य 392/बी द्वारा सोसाईटी के सामुदायिक भवन का आरक्षण कराया गया था । लेकिन उनके द्वारा उपयोग नही किये जाने के कारण राशि वापस करने की सहमति प्रदान की गई ।

कार्यावली संख्या—13 डॉ0 दिलीप कुमार सिंह, सह—सदस्य 422/बी की मृत्यू हो जाने के फलस्वरूप सभी सह सदस्यों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी पत्नी श्रीमति अनीता सिंह को सह—सदस्य बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यावली संख्या—14 दिनांक 16.02.2025 को निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्राधिकृत कम्पनियों से दर प्राप्त कर न्यूनतम दरदाता से एक अदद हेवी ड्यूटी जेरोक्स मशीन क्रय करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या—15 दिनांक 07.01.2024 को निदेशक मण्डल के निर्णय के आलोक में पार्क बी स्थित जलमिनार की मरम्मति हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–16 दिनांक 02.06.2024 को निदेशक मण्डल में लिये गये निर्णय के आलोक में सोसाईटी के सामुदायिक भवन के कक्ष एवं अन्दर के वाथरूम की मरम्मति कराने तथा पुरूष एवं महिला शौचालय का अलग–अलग निर्माण कराने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–17 पूर्व में लिये गये निर्णय के आलोक में 3000 (तीन हजार) लीटर की क्षमता वाली **Stainless Steel Tanker** का विधिवत निविदा के माध्यम से आपूर्ति ली गई है । उसके भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यावली संख्या–18 कार्यरत योजनाओं की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर लिया गया हैं । तदनुसार **Supplementary agreement** कर तथा कार्यादेश निर्गत करते हुए कार्य़ को पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–19 सोसाईटी द्वारा निर्मित्त शहरी स्वास्थ्य केन्द्र का भवन काफी जर्जर हो गया है । भवन की विशेष मरम्मति, वाथरूम तथा सिवरेज टैंक के निर्माण सोसाईटी के ही सदस्य की संस्था आश्रिता इंजीनियरिंग को प्राक्कलित दर से **10%** कम उनकी सहमति प्राप्त कर कार्य कराने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–20 नया टेलीफोन डायरेक्टरी 2025 की छपाई कराने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–21 2000 ( दो हजार ) अदद नामांकण प्रपत्र की छपाई कराने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–22 **Appeal case No. 11/2023** और **Misc. Appeal case no. 11/2025** में पारित आदेश के फलाफल पर सोसाईटी का पक्ष रखने का निर्णय लिया गया। इस कार्य हेतु सर्वसम्मति से अध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।

निबंधक न्यायालय में अपीलवाद संख्या 5/25 एवं 11/25 के अंतरिम स्थगन आदेश के पारा 39 में उद्धृत आदेश के आलोक में सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन पर विद्वान अधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया जाय । परामर्श प्राप्त होने के उपरान्त बोर्ड द्वारा अग्रतर कार्रवाई किया जायेगा । सोसाईटी के दैनिक कार्यों के संचालन म्रें किन–किन वित्तीय कार्य को किया जाना है तथा वित्तीय कार्य प्रतिबंधित रहेगा पर परामर्श प्राप्त करना है। अधिवक्ता को परामर्श के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान का निर्णय लिया गया ।

अपीलवाद संख्या 11/2023 को निबंधक न्यायालय द्वारा संयुक्त निबंधक न्यायालय को पुनः मेरिट पर कार्यवाही हेतु वापस किया गया है । निबंधक न्यायालय द्वारा दिये गये ऑबजर्वेसन्स को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि शेष अवधि के लिए बाय–लॉज के प्रावधान के आलोक में श्रीमति गुजन सिंह जो चुनाव में न्यूनतम अंतर से पराजित हुई हैं एवं वित्तीय प्रबंधन की विशषज्ञ हैं को बोर्ड में सदस्य/निदेशक के रूप में **Co-opt** करने का निर्णय लिया गया । इसकी सूचना सहकारिता विभाग को देने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–अन्यान्य (क) सोसाईटी द्वारा अबतक किये गये कार्यों के लम्बित भुगतान की योजनावार सूची परिशिष्ट (क) पर सर्वसम्मत भुगतान का निर्णय लिया गया।

(ख) सोसाईटी में झाडूकश की कमी को ध्यान में रखते हुए कम से कम तीन अदद झाडूकश महिलाओं को दैनिक श्रमपुस्त के आधार पर नियोजित करने हेतु निदेशक श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य को प्राधिकृत किया गया । उनकी अनुशंसा के आधार पर ही चयन किया जायेगा ।

अन्यान्य (ग)– संवेदकों द्वारा कराये गये एवं कराये जानेवाले कार्यों (सूची संलग्न) का भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया ।

अन्यान्य (घ) पार्क ए में अवस्थित मोटर पम्प बोरिंग के अन्दर चला गया है । उसे निकालने हेतु 20,000/–(बीस हजार) रूपये व्यय की संभावना है । तत्काल लेखा लिपिक सोसाईटी अभियंता को 5000/–रूपये का अग्रिम देकर पम्प निकालने की कार्रवाई करंगे ।

अन्यान्य (ड.) म्यूटेशन कार्य के प्रथम फेज का कार्य सम्पन्न हो गया है । दिनांक 16.04.25 को निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार फेज 2 के कार्य हेतु संवेदक ने जमानत की राशि जमा करा दिया है । उक्त आलोक में दूसरे फेज के कार्य हेतु अग्रिम राशि का भुगतान करते हुए कार्यादेश निर्गत करने के उपरोक्त निविदा शर्तो के आधार पर सुरक्षा राशि के विरूद्ध अग्रिम मुहैया कराने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया ।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

श्रीमति जुबी जेन केशरी
निदेशक

श्री प्रताप सिंह
निदेशक

8/4/2025
श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य
निदेशक

श्री के0 पी0 पाण्डेय
उपाध्यक्ष

डॉ0 माधव
अध्यक्ष